न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 173/2022 (2022/771)

1. भंवरी देवी पत्नि छीतर लाल गुर्जर निवासी निमोद तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——प्रार्थीया

♠ बनाम ♠

1. काना पुत्र रायमल जाति गुर्जर
2. रामपाल पुत्र बैजनाथ जाति गुर्जर
3. घीसी पत्नि रामकरण जाति गुर्जर
   समस्त निवासीगण निमोद तहसील केकड़ी जिला अजमेर
4. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार केकड़ी, तहसील केकड़ी जिला अजमेर ——अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

दिनांक 01.05.2023

पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प निमोद में पेश हुई। प्रार्थीया मय अधिवक्ता उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत प्रार्थनापत्र में आराजीयात वाके ग्राम/कस्बा निमोद तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है–

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
121–105	1406	0.11	नहरी 1
	1407	0.01	गै.मु.पाल
	1408	1.74	नहरी 1
	1409	0.06	गै.मु.पाल
	कुल किता 4	**कुल रकबा 1.92 हैक्टर**	

उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजीयात है तथा पूर्वजो के समय से ही उक्त आराजीयात पर प्रार्थीया ही काबिज काश्त है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 पडौसी खातेदार है जिनका प्रार्थीया की आराजीयात से किसी पकार का सरोकार नही है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 प्रार्थीया को काश्त नही करने देते है तथा आये दिन आराजीयात को खुर्द बुर्द करते रहते है तथा आराजीयात को हडप कर प्रार्थीया को बेदखल करने पर उतारू है। प्रार्थीया की आराजी की पत्थरगढी नही की जाती है तो प्रार्थीया अपनी उक्त वर्णित आराजीयात से बेदखल हो जायेगी तथा प्रार्थीया को अज हत क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नही है। दिनांक 15.10.2020 को अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने प्रार्थीया की वर्णित आराजीयात की मेड को तोडकर आराजीयात को खुर्द बुर्द व नष्ट भ्रष्ट करने पर जबरन आमादा हो गये जिसके कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करना लाजमी आया है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजीयात की पत्थरगढी किये जाने हेतु आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 के पूर्व में बावजूद सम्मन तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। दौराने शिविर उपस्थित पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा जवाब सरकार की टिप्पणी अंकित की गई जिसके अनुसार प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया। प्रार्थीया, प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के खातेदार काश्तकार है एवं खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके ग्राम/कस्बा निमोद तहसील केकडी की जमाबन्दी के खाता संख्या नया–पुराना 121–105 में दर्ज खसरा नम्बर 1406, 1407, 1408, 1409 किता 4 कुल रकबा 1.92 हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 एवं महंगाई राहत शिविर केम्प कादेडा में मजमे आम सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)